न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 49/2019

अपीलार्थी

1. मृतका श्रीमती लहरीदेवी पत्नि स्व. श्री रतनाजी जाति सरगरा निवासी मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्रीमती रेखा पुत्री स्व. श्री रतनाजी पत्नि श्री छगनलाल जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती मंजू पुत्र स्व. श्री रतनाजी पत्नि श्री रतनलाल जाति सरगरा निवासी कुबेर नगर अहमदाबाद।
4. श्री बालुशंकर पुत्र स्व. श्री रतनाजी जाति सरगरा निवासी मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्री विजयराज पुत्र स्व. श्री रतनाजी जाति सरगरा निवासी मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री हीरालाल पुत्र श्री भगवानजी उर्फ भगवाना जाति सरगरा निवासी मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री चेनाराम पुत्र श्री भगवानजी उर्फ भगवाना निवासी मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिह आढा अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार राज.)
3. श्री नगेन्द्र मेडतिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या दो।

निर्णय दिनांक : 01.04.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 729 दिनांक 22.03.2003 के विरूद्ध दिनांक 21.10.20[illegible] [illegible]स्तुत की जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की [illegible] अधिवक्ता [illegible] के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने जरिए वकालतनामें के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक [illegible] से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि मौजा मावल पटवार हल्का मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही में खसरा संख्या 396, 406, 846, 109, 843 एवं 939 की भूमि अपीलांट के पिता श्री रतनाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन के संयुक्त मालिकी की आई हुई थी, जिसके राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपीलांट के पिता श्री रतनाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा स्थित था एवं उक्त राजस्व आराजी का पक्षकारान के बीच मौखिक रूप से कदीम से बंटवाड किया हुआ था। उक्त राजस्व आराजी के बंटवाड हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन ने न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में एक वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 17.03.1996 को अपीलांट के पिता श्री रतनाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया एवं माफिक राजीनामा अपीलांट के पिता ने सिंचाई हेतु कुंआ खुदवाया हुआ था, वह भूमि उस कुंए के लगती आई हुई भूमि अपीलांट के पिता के हक हिस्से में देने का राजीनामा प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार दिनांक 24.09.1996 को डिक्री पारित कर नियमानुसार बंटवाड कर प्रत्येक खातेदार के अलग–अलग हिस्से में दर्ज कर नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते गलत रूप से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। यह है कि अपीलांट के पिता ने उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण दायर हेतु सहायक कलक्टर आबूपर्वत को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार आबूरोड द्वारा उक्त निर्णय की पालना वर्तमान स्थिति एवं प्रस्तावित प्रविष्टि को दर्शाते हुए रिपोर्ट क्रमांक 1311 दिनांक 24.09.2009 को उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को प्रेषित की जिसमें खसरा संख्या 846 का जानबूझकर उल्लेख नहीं करते हुए अपीलांट के पिता के हक में आने वाली भूमि रकबा 3.16 बीघा दर्शाकर खसरा संख्या 843 में से 1.16 बीघा देने की ही प्रविष्टी की गई, जबकि माफिक राजीनामा अपीलांट के पिता के हक हिस्से में आने वाली सम्पूर्ण भूमि खसरा संख्या 843 में से ही देने का उल्लेख है। यह है कि नामान्तरकरण संख्या 729 दिनांक 22.03.2003 सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित राजीनामा की डिक्री अनुसार भरने का उल्लेख किया गया है लेकिन राजीनामा में वर्णित तथ्यों के विपरीत उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 729 दिनांक 22.03.2003 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। यह है कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण अपीलांट के पिता श्री रतनाजी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या [illegible] के मध्य प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर ही पारित किया [illegible] के मध्य प्रस्तुत राजीनामा में यह स्पष्ट अंकित है कि [illegible] प्रत्येक खसरा का 1/3 भाग दिया जाएगा एवं उसी अनुसार ही अधीनस्थ न्याया[illegible] ने उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है। यह है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का मावल की रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि विवादित भूमि मौजा मावल पटवार हल्का मावल तहसील आबूरोड जिला सिरोही में खसरा संख्या 396, 406, 846, 109, 843 एवं 939 की भूमि आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त राजस्व आराजी के बंटवाड हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन ने न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत में एक वाद प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या 18/94 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त वाद में दिनांक 17.03.1996 को अपीलांट के पिता श्री रतनाजी व रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा निर्णय पारित किया था, जिसमें यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में दोनों वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे एवं उनका 1/3–1/3 हिस्सा होना दर्ज किया जावे एवं खसरा संख्या 396, 406, 109 व 843 की भूमि का एवं उसके लगान का तीन बराबर हिस्सों में विभाजन किया जावे तथा प्रत्येक को उसके हिस्से में आई भूमि का कब्जा दिलवाया जावे एवं प्रतिवादी ने उक्त भूमि की सिंचाई हेतु कुंआ खुदवाया है जो जिस खसरा नम्बर की भूमि पर हो वह भूमि व कुंआ प्रतिवादी के हिस्से में दिया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त नामान्तरकरण आदेश में न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित आदेश की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन के मध्य प्रत्येक के हक हिस्से का सही विभाजन नहीं किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुंए की भूमि को अपीलांट के हक में हिस्से में नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्तुत राजीनामा में यह अंकित है कि कुंआ जिस खसरा नम्बर की भूमि पर हो वह भूमि व कुंआ अपीलांट के हक हिस्से में दिया जाए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि जिस भूमि पर कुंआ स्थित है, उस खसरा संख्या की भूमि को अपीलांट को नहीं दिया जाना सही प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 729 दिनांक 22.03.2004 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दोनों पक्षों को

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर अपीलांट के पिता श्री रतनाजी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन के मध्य हुए राजीनामा एवं उक्त राजीनामा के आधार पर न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा पारित निर्णय के आधार पर नए सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner